अध्याय-V

उदय का परिणाम

सारांश

तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों का समावेश एकीकृत तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियाँ बनाता हैं, इसलिए दोनों प्रकार की हानियों को नियंत्रित करने एवं उससे एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए बिलिंग एवं संग्रहण दक्षता में सुधार किया जाना अनिवार्य है।

उदय में परिकल्पित विभिन्न वित्तीय एवं परिचालन गतिविधियों का लक्ष्य, एटीएंडसी हानियों को 2018-19 तक 15 प्रतिशत तक कम करना तथा डिस्कॉम्स की आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) एवं औसत वसूली योग्य राजस्व (एआरआर) के मध्य अंतर को 2018-19 तक समाप्त करना था।

हमने पाया कि जयपुर डिस्कॉम एवं अजमेर डिस्कॉम्स, 2015-16 से 2020-21 के दौरान अपनी एटीएंडसी हानियों को अत्यधिक कम करने के उपरांत भी, एटीएंडसी हानि में लक्षित कमी किए जाने में पिछड़ गये। इसके विपरीत, 2016-18 के दौरान एटीएंडसी हानि में नगण्य कमी के पश्चात जोधपुर डिस्कॉम की स्थिति और खराब हो गई एवं 2018-21 के दौरान एटीएंडसी हानियों ने 2015-16 के हानि के स्तर को चिंताजनक रूप से पार कर दिया। परिणामस्वरूप, कोई भी डिस्कॉम लक्षित एटीएंडसी हानियों, जैसा कि उदय/एमओयू के अंतर्गत निर्धारित की गई थी, को प्राप्त नहीं कर सका।

तीनों डिस्कॉम्स में से कोई भी डिस्कॉम (2017-18 तथा 2019-20 में जयपुर डिस्कॉम एवं 2017-18 में अजमेर डिस्कॉम को छोड़कर) 2015-21 के दौरान एसीएस-एआरआर अंतर को समाप्त नहीं कर सका। जोधपुर डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति एक चिंता का कारण थी क्योंकि 2015-21 के दौरान सभी वर्षों में एसीएस एआरआर से सारभूत रूप से अधिक रहा।

यद्यपि उदय के कार्यान्वयन से डिस्कॉम्स के ऋण ₹ 80,529.90 करोड़ (सितंबर 2015) से सारभूत रूप से घटकर ₹ 48,309.09 करोड़ (मार्च 2020) हो गए थे, परन्तु नए ऋण लिए जाने के कारण, डिस्कॉम्स का ऋण भार पुनः बढ़कर ₹ 52,799.02 करोड़ हो गया (मार्च 2021)।

वितरण क्षेत्र में विगत सुधार

5.1 2001-14 की अवधि के दौरान, भारत सरकार ने डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिरता एवं स्थायित्व में सुधार करने हेतु वितरण के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ कर परिचालन दक्षता में वृद्धि करने

एवं एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए कई केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं/केंद्र प्रायोजित योजनाएं[1] प्रारंभ की। इन योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्राप्त होने एवं 2011-15 के दौरान सारभूत पूंजीगत व्यय (₹ 13,246.33 करोड़) किए जाने के उपरांत भी, डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था।

वर्ष 2014-15 के अंत तक, डिस्कॉम्स का संचित घाटा ₹ 81,411.30 करोड़[2] पहुँच गया। विगत देनदारियों को चुकाने के लिए, डिस्कॉम्स ने बड़े ऋण उठाए एवं इसलिए 2014-15 के दौरान उनकी कुल ब्याज देनदारी ₹ 8,254 करोड़ (₹ 1.79 प्रति विक्रय की गई विद्युत की यूनिट के बराबर) थी।

चूंकि डिस्कॉम्स गंभीर वित्तीय तनाव से जूझ रहे थे एवं राजस्व घाटा/संचित हानियों को ध्यान में रखते हुए, डिस्कॉम्स ने अपनी परिचालन दक्षता में सुधार करने तथा वित्तीय कायाकल्प का प्रयास करने के लिए उदय को चुना।

उदय का परिणाम

परिचालन परिणाम

5.2 उदय के वाक्यांश 4.3 में प्रावधान था कि परिचालन सुधार के परिणामों को निम्न के माध्यम से मापा जाएगाः

- हानि में कमी के प्रक्षेपवक्र के अनुसार, 2018-19 में एटीएंडसी हानि को घटाकर 15 प्रतिशत तक करना; एवं
- आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) तथा औसत राजस्व वसूली (एआरआर) के मध्य अंतर को 2018-19 तक शून्य करना।

एटीएंडसी हानियों में कमी

5.3 उदय ने 2018-19 में एटीएंडसी हानि को घटाकर 15 प्रतिशत तक किए जाने की परिकल्पना की थी एवं उसके पश्चात के हानि में कमी के प्रक्षेपवक्र को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। किसी निर्धारित लक्ष्य/प्रक्षेपवक्र के अभाव में, 2018-19 के लिए लक्षित एटीएंडसी हानि (15 प्रतिशत) को ही 2019-20 एवं 2020-21 की अवधि हेतु भी लक्ष्य माना गया था।

---

1 त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम; राज्य विद्युत मंडल के बकाया का निपटान; त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम; राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना; पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम; वित्तीय पुनर्गठन योजना-2012; एकीकृत विद्युत विकास योजना एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।

2 जयपुर डिस्कॉमः ₹ 27,831.09 करोड़, अजमेर डिस्कॉमः ₹ 26,843.76 करोड़ एवं जोधपुर डिस्कॉमः ₹ 26,736.45 करोड़।

2015-16 से 2020-21 की अवधि के लिए डिस्कॉम-वार लक्ष्य के समक्ष वास्तविक एटीएंडसी हानि को नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया हैं:

चार्ट संख्या 5.1: डिस्कॉम-वार लक्ष्य के समक्ष वास्तविक एटीएंडसी हानि

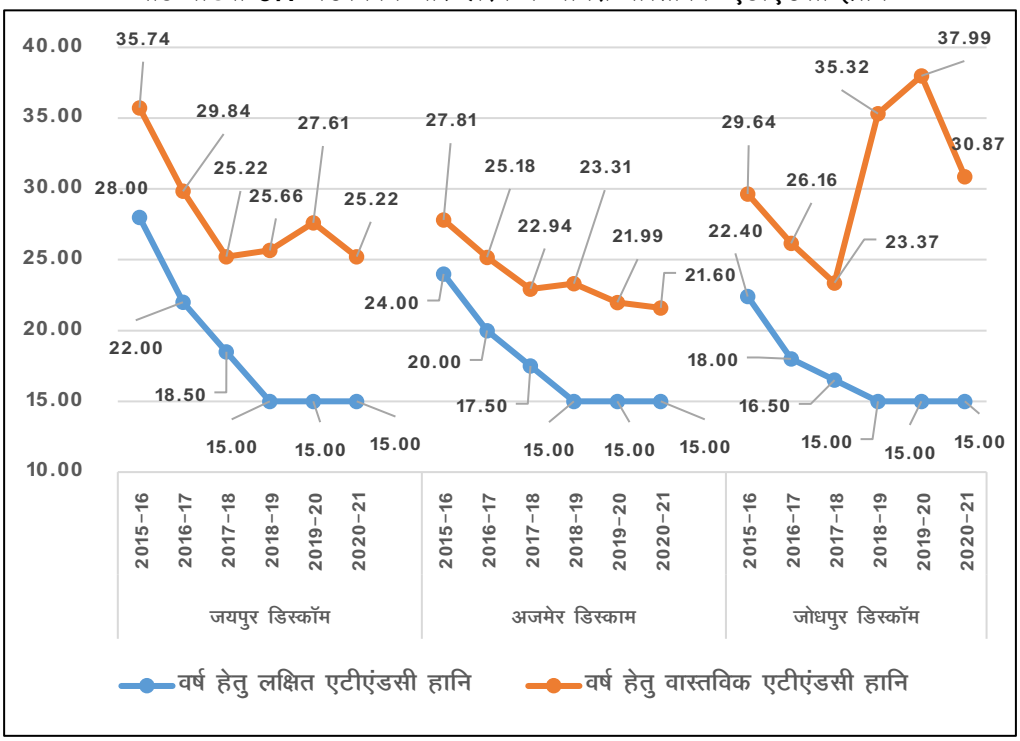

स्रोतः एमओयू एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रदत्त सूचना।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जयपुर डिस्कॉम एवं अजमेर डिस्कॉम्स, 2015-16 से 2020-21 के दौरान अपने एटीएंडसी हानियों को अत्यधिक कम करने के उपरांत भी, एटीएंडसी हानि में लक्षित कमी किए जाने में पिछड़ गये। इसके विपरीत, 2016-18 के दौरान एटीएंडसी हानि में नगण्य कमी के पश्चात जोधपुर डिस्कॉम की स्थिति और खराब हो गई एवं 2018-21 के दौरान एटीएंडसी हानियों ने 2015-16 के हानि स्तर को चिंताजनक रूप से पार कर दिया। परिणामस्वरूप, कोई भी डिस्कॉम लक्षित एटीएंडसी हानियों, जैसा कि उदय/एमओयू के अंतर्गत निर्धारित की गई, को प्राप्त नहीं कर सका।

एटीएंडसी हानि, ऊर्जा हानि (टीएंडडी हानि) एवं वाणिज्यिक हानि का एक संयोजन है। इसलिए, उच्च एटीएंडसी हानि के कारणों की पहचान करने के लिए डिस्कॉम्स की टीएंडडी हानि, बिलिंग दक्षता एवं संग्रहण दक्षता का विश्लेषण किया जाना उपयोगी है। इस पर चर्चा आगामी **अनुच्छेदों 5.3.1 से 5.3.3** में की गई है।

तकनीकी एवं वितरण हानि

5.3.1 डिस्कॉम द्वारा एमओयू के तहत प्रतिबद्ध तकनीकी एवं वितरण (टीएंडडी) हानियों के लक्ष्यों के साथ-साथ 2015-16 से 2020-21 के दौरान उनके समक्ष उपलब्धि नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाई गई है:

चार्ट सं. 5.2: डिस्कॉम्स-वार लक्ष्यों के समक्ष वास्तविक टीएंडडी हानि

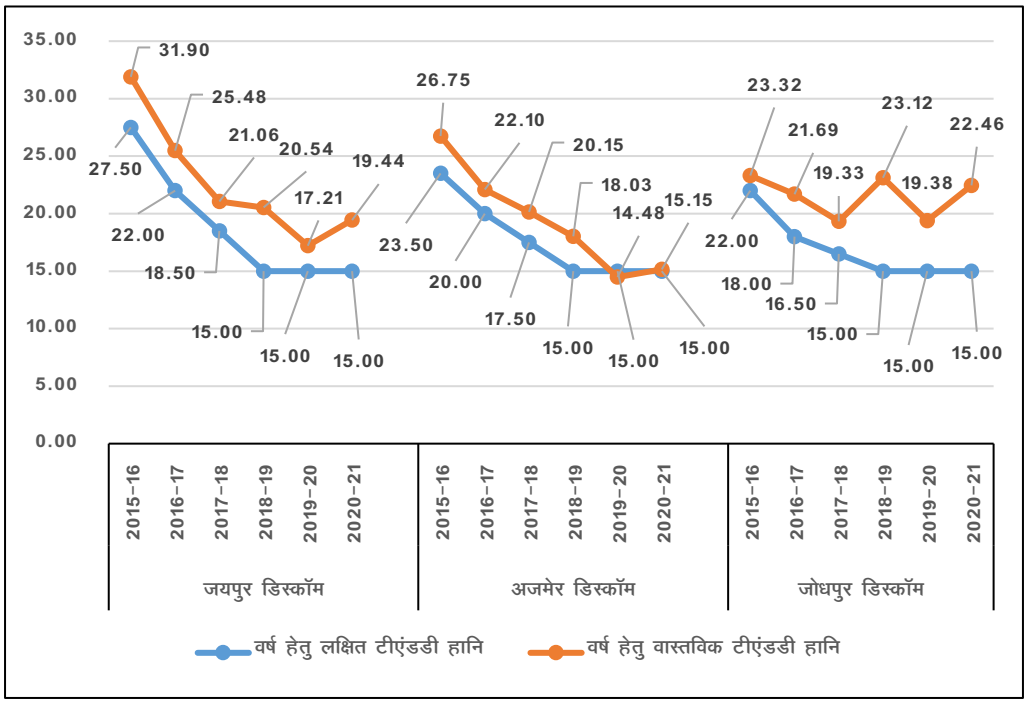

स्रोतः एमओयू एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रदत्त सूचना।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीनों डिस्कॉम्स में से कोई भी (2019-20 में अजमेर डिस्कॉम को छोड़कर) 2015-21 के दौरान टीएंडडी हानियों में लक्षित कमी को प्राप्त नहीं कर सका। लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स विद्युत की चोरी एवं बिलिंग अक्षमताओं पर अंकुश नहीं लगा सके। सुधार की कमी मुख्य रूप से संरचनात्मक सुधारों यथा, फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर की मीटरिंग, उपभोक्ताओं की अनुक्रमणिका तथा जीआईएस द्वारा मानचित्रण, स्मार्ट/उन्नत मीटरिंग बुनियादी ढांचे को अपनाना, ट्रांसफार्मर तथा मीटर को उन्नत करना/बदलना इत्यादि की धीमी गति के कारण थी जैसा कि **अध्याय-III** में चर्चा की गई है।

बिलिंग दक्षता

5.3.2 2015-16 से 2020-21 के दौरान डिस्कॉम्स द्वारा एमओयू के तहत प्रतिबद्ध बिलिंग दक्षता[3] के लक्ष्य एवं उनके समक्ष उपलब्धि नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाई गई है:

3 यह किसी क्षेत्र में आपूर्ति की गई ऊर्जा के संबंध में उपभोक्ताओं को बिल (मीटर वाली व बिना मीटर वाली दोनों विक्रय सम्मिलित है) की गई ऊर्जा के अनुपात का एक संकेतक है ।

चार्ट संख्या 5.3: डिस्कॉम-वार लक्ष्यों के समक्ष वास्तविक बिलिंग दक्षता

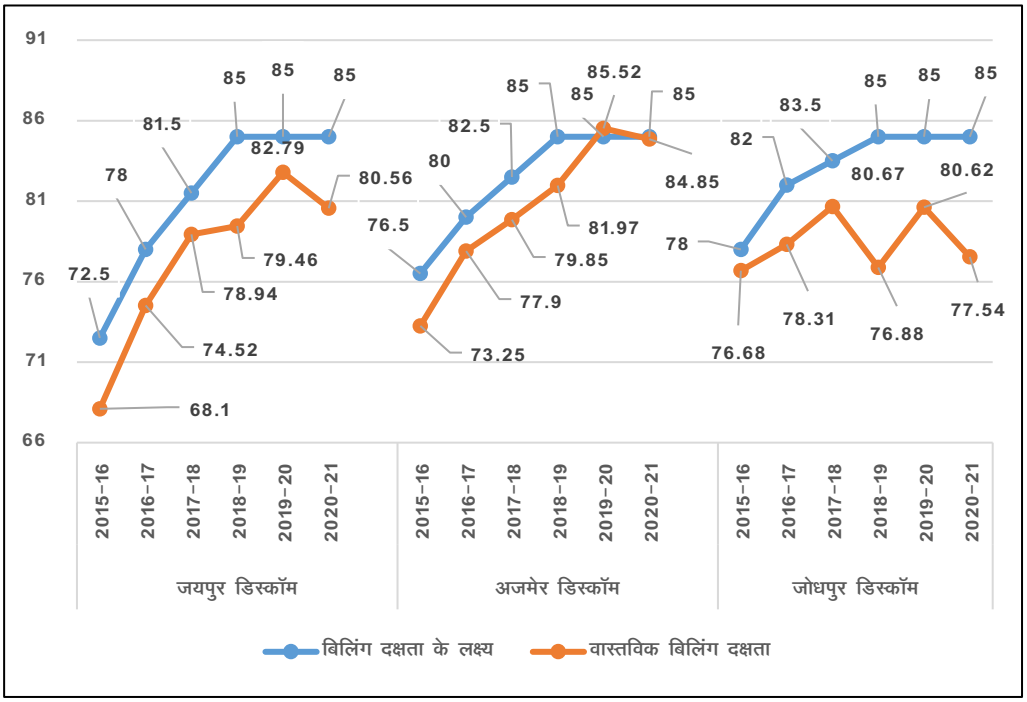

स्रोत: एमओयू एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रदत्त सूचना।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लक्षित स्तर तक टीएंडडी हानियों में कमी नहीं होने के कारण, तीनों डिस्कॉम्स में से कोई भी (2019-20 में अजमेर डिस्कॉम को छोड़कर) 2015-21 के दौरान एमओयू के तहत प्रतिबद्ध बिलिंग दक्षता को प्राप्त नहीं कर सका।

संग्रहण क्षमता

5.3.3 एमओयू के अनुसार, डिस्कॉम्स को 2015-16 में 99.50 प्रतिशत संग्रहण दक्षता[4] एवं उसके पश्चात 100 प्रतिशत संग्रहण दक्षता प्राप्त करनी थी। 2015-21 के दौरान डिस्कॉम-वार वास्तविक संग्रहण दक्षता नीचे दिए गए चार्ट में दर्शायी गई है:

4 यह उपभोक्ताओं से उन्हें बिल की गई राशि के संबंध में संग्रहित राशि के अनुपात का एक संकेतक है। यह बकाया भुगतान में चूक करने की उपभोक्ताओं की प्रवृत्ति से प्रभावित होता है।

चार्ट संख्या 5.4: डिस्कॉम-वार लक्ष्यों के समक्ष वास्तविक संग्रहण दक्षता

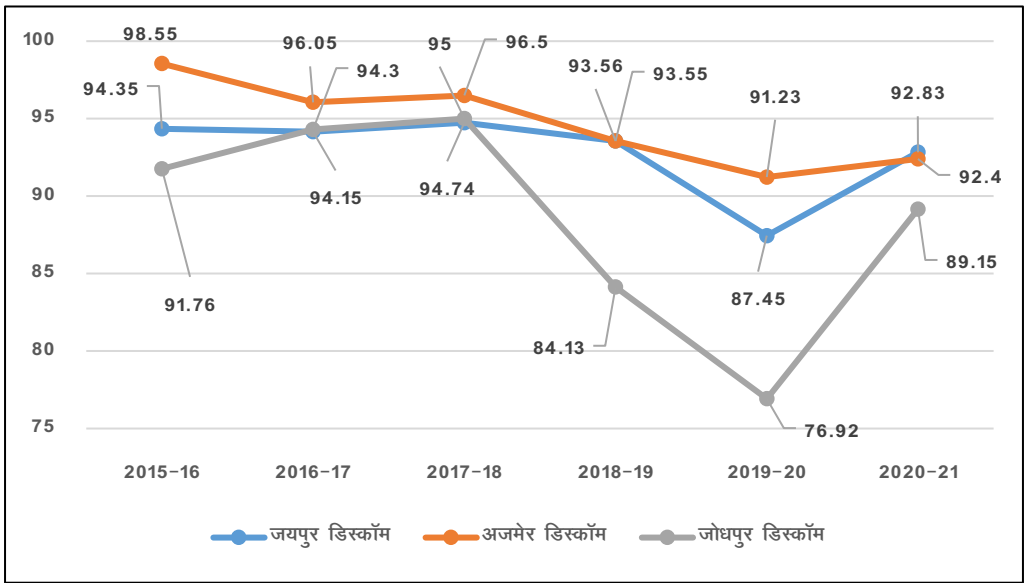

स्रोतः एमओयू एवं डिस्कॉम्स द्वारा प्रदत्त सूचना।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी तीनों डिस्कॉम्स की संग्रहण दक्षता 2015-21 के दौरान बिगड़ गई थी। परिणामस्वरूप, 100 प्रतिशत संग्रहण दक्षता प्राप्त किए जाने का अंतर बढ़ गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2015-21 के दौरान, जयपुर डिस्कॉम (2016-18 के दौरान) एवं जोधपुर डिस्कॉम (2015-16 तथा 2018-21 के दौरान) की संग्रहण दक्षता बहुत खराब थी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि राजस्थान सरकार द्वारा ऋणों के मुख्य भाग का अधिग्रहण करने के उपरांत भी, डिस्कॉम्स को गंभीर तरलता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा एवं विद्युत क्रय देयताओं के भुगतान में विलंब के कारण शास्तियां भी वहन करनी पड़ी जैसा कि **अनुच्छेद 2.6.4** में चर्चा की गई है।

एसीएस-एआरआर के अंतर में कमी

5.4 एसीएस-एआरआर के अंतर[5] को कम करने में कमियों/विसंगतियों पर चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

(ए) एमओयू में एसीएस-एआरआर में अंतर के अनुमानों का निर्धारण

उदय दिशानिर्देशों के वाक्यांश 4.3 के अनुसार, डिस्कॉम्स को एसीएस एवं एआरआर के मध्य अंतर को 2018-19 तक शून्य करना था, जैसा कि एमओपी एवं राज्यों द्वारा निर्धारित किया गया था।

5 एसीएस-एआरआर अंतर क्रय/विक्रय की गई ऊर्जा की प्रत्येक इकाई की लागत एवं राजस्व वसूली में अंतर को इंगित करता है। अधिक एसीएस हानि को इंगित करता है जबकि अधिक एआरआर लाभ को इंगित करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमओयू (जनवरी 2016) में एसीएस-एआरआर का अंतर 2015-16 से 2018-19 की अवधि हेतु अनुमानित किया गया था। अनुमान कुल आय में सरकार से प्राप्य टैरिफ सब्सिडी को विद्युत के विक्रय से प्राप्त राजस्व का भाग मानते हुए लगाए गए थे। विभिन्न राज्यों द्वारा एसीएस-एआरआर अंतर की गणना के लिए अपनाई गई पद्धतियों में विसंगतियों को देखते हुए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने एसीएस-एआरआर में अंतर की गणना हेतु एक पद्धति निर्धारित एवं प्रसारित की (अगस्त 2017), जैसी कि नीचे दर्शाई गई है:

आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस)	**राशि में कुल व्यय/कुल आगत ऊर्जा इकाइयाँ,** जहां कुल आगत ऊर्जा से आशय, प्रसारण हानियों, अंतर-राज्यीय विक्रय या व्यापार की गई ऊर्जा इत्यादि जैसे समायोजन करने से पूर्व की आगत ऊर्जा से है।
औसत वसूली योग्य राजस्व (एआरआर)	**{विद्युत के विक्रय से प्राप्त राजस्व में से बुक की गई सब्सिडी को घटाकर एवं प्राप्त सब्सिडी + अन्य आय को जोड़कर}/ कुल आगत ऊर्जा इकाइयां**
एसीएस-एआरआर अंतर	**एआरआर में से एसीएस को घटाकर**

लेखापरीक्षा ने देखा कि एमओयू में अनुमान एमओपी द्वारा पद्धति निर्धारित किए जाने से पूर्व की पद्धति का उपयोग करके लगाए गए थे, जिसमें संबंधित वर्ष के दौरान वास्तव में प्राप्त टैरिफ सब्सिडी के स्थान पर सरकार से प्राप्य टैरिफ सब्सिडी सम्मिलित थी। इस प्रकार, अनुमानों ने सही अनुमानों को प्रतिबिंबित नहीं किया था। लेखापरीक्षा में आगे देखा कि डिस्कॉम्स ने निर्धारित पद्धति के अनुसार अनुमानों को संशोधित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम्स के अनुमान इस आधार पर लगाए गए थे कि उदय के तहत राजस्थान सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण के पेटे ब्याज का कोई भार नहीं होगा एवं वित्तीय वर्ष 2017 के पश्चात से कोई नकद सहायता तथा हानि की सब्सिडी नहीं होगी। अनुमानों में यह विचार ऊर्जा मंत्रालय के दिशानिर्देशों/पद्धतियों के अनुसार नहीं थे।

(बी) एसीएस-एआरआर का अंतर समाप्त नहीं होना

उदय दिशानिर्देशों के वाक्यांश 4.3 (बी) के अनुसार, परिचालन दक्षता के समग्र परिणाम एसीएस-एआरआर के अंतर में कमी के माध्यम से मापे जाने थे। साथ ही, एमओयू के अनुसार, डिस्कॉम्स को 2018-19 एवं उसके आगे से एसीएस-एआरआर के बीच अंतर को समाप्त करना था।

एमओयू के अनुसार लक्षित एसीएस, एआरआर और एसीएस-एआरआर अंतर के समक्ष विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार तथा 2015-21 के दौरान लेखों के अनुसार वास्तविक एसीएस-एआरआर के अंतर को **अनुबंध-14** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीनों डिस्कॉम्स में से कोई भी (2017-18 में जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स को छोड़कर) वर्ष 2018-19 तक एसीएस-एआरआर के अंतर[6] को समाप्त नहीं कर सका। साथ

6 एमओपी, भारत सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार एसीएस -एआरआर अंतर।

ही, 2019-21 के दौरान, दो डिस्कॉम्स (अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम) एसीएस-एआरआर के अंतर को समाप्त किया जाना सुनिश्चित नहीं कर सके, जबकि जयपुर डिस्कॉम केवल 2019-20 में एसीएस-एआरआर के अंतर को समाप्त कर सका।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम्स उदय सब्सिडी के क्रमशः ₹ 4,164 करोड़ एवं ₹ 3,986 करोड़ के कारण, 2017-18 में एसीएस-एआरआर के अंतर को समाप्त कर सके तथा क्रमशः केवल ₹ 943 करोड़ एवं ₹ 1,199 करोड़ का लाभ दर्ज कर पाए। साथ ही, जोधपुर डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति एक चिंता का विषय थी क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा ऋण का अधिग्रहण करने एवं इसके एक हिस्से को राजस्व सब्सिडी में परिवर्तित करने के उपरांत भी, 2015-21 के दौरान सभी वर्षों में एसीएस एआरआर से सारभूत रूप से अधिक रहा। एसीएस-एआरआर का अंतर समाप्त न होने के मुख्य कारण, विद्युत क्रय की उच्च लागत एवं राजस्थान सरकार से रियायती उपभोक्ताओं की टैरिफ सब्सिडी का प्राप्त नहीं होना/कम प्राप्त होना थे।

इस प्रकार, डिस्कॉम्स, राजस्थान सरकार द्वारा उनकी ऋण देयता के 75 प्रतिशत अधिग्रहण के समक्ष, उदय के तहत ₹ 62,421.96 करोड़ की वित्तीय सहायता (पूंजीः ₹ 15,605.49 करोड़ तथा सब्सिडीः ₹ 46,816.47 करोड़) प्राप्त होने के उपरांत भी एसीएस-एआरआर के अंतर को समाप्त नहीं कर सके, जैसा कि उदय के तहत परिकल्पित किया गया था।

डिस्कॉम्स का वित्तीय कायाकल्प

5.5 भारत सरकार ने उदय को इन अपेक्षाओं के साथ प्रारंभ किया था कि यह डिस्कॉम्स को स्थायी आधार पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाकर उनकी वित्तीय स्थिति को बदलने में सहायक होगी। डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति पर उदय के प्रभाव की चर्चा नीचे की गई है।

डिस्कॉम्स की लाभप्रदता पर प्रभाव

5.5.1 उदय के कार्यान्वयन ने ऐतिहासिक रूप से घाटे में चल रहे डिस्कॉम्स के 2016-17 से वित्तीय कायाकल्प के संकेत दिए, क्योंकि 2015-16 की तुलना में हानियां 84.12 प्रतिशत कम हो गयी। साथ ही, डिस्कॉम्स ने अपने निगमन के पश्चात (जुलाई 2000) से 2017-18 के दौरान प्रथम बार लाभ अर्जित किया।

2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान डिस्कॉम्स के राजस्व, व्यय एवं लाभ को दर्शाने वाला वित्तीय प्रदर्शन **अनुबंध-15** में दिया गया है। उदय से पूर्व एवं उदय के कार्यान्वयन के दौरान डिस्कॉम्स की लाभप्रदता नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाई गई हैः

चार्ट संख्या 5.5: 2014-15 से 2020-21 के दौरान डिस्कॉम्स की लाभप्रदता

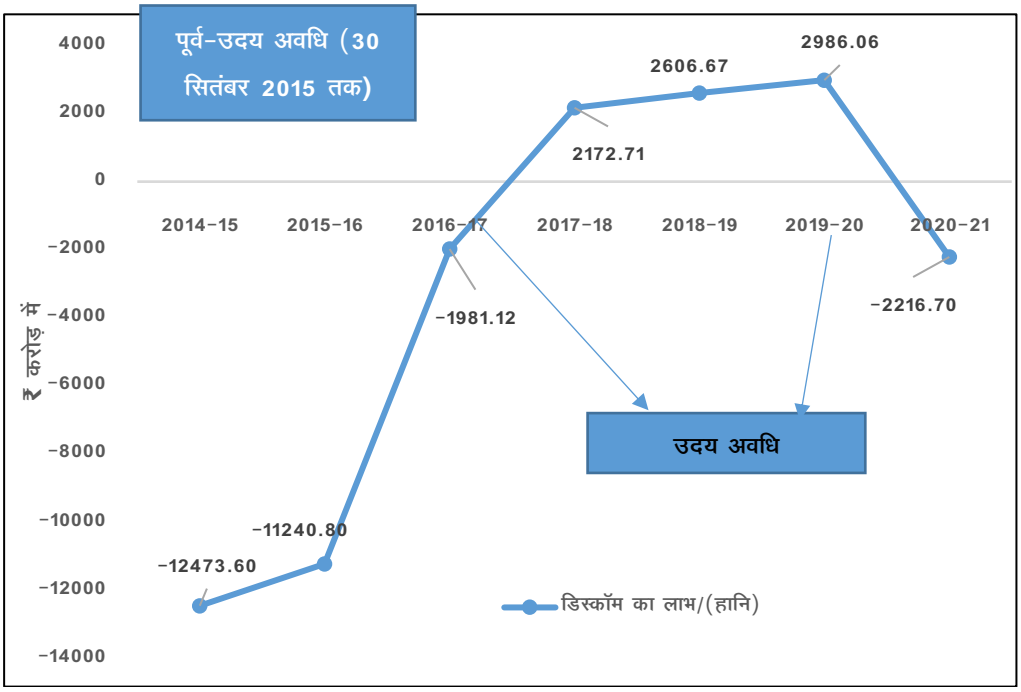

स्रोत: डिस्कॉम्स के वार्षिक वित्तीय-विवरण।

डिस्कॉम-वार लाभप्रदता का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 5.1: डिस्कॉम्स की लेखा-पुस्तकों में दर्शाए गए लाभ/हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	डिस्कॉम		
	जयपुर	अजमेर	जोधपुर
2014-15	(4734.57)	(3592.89)	(4146.12)
2015-16	(4462.91)	(3504.00)	(3273.87)
2016-17	(615.75)	(336.69)	(1028.68)
2017-18	943.16	1199.08	30.47
2018-19	906.09	466.82	1233.76
2019-20	2188.15	788.06	9.85
2020-21	(660.75)	175.73	(1731.68)

स्रोत: डिस्कॉम के वार्षिक वित्तीय-विवरण।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉम्स द्वारा 2017-18 से 2019-20 के दौरान दर्शाया गया लाभ उनकी परिचालन दक्षता के कारण नहीं था। डिस्कॉम्स की लाभप्रदता केवल उदय के तहत ऋण को राजस्व सब्सिडी में परिवर्तित किए जाने के कारण थी। साथ ही, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व सब्सिडी समर्थन समाप्त किए जाने के पश्चात, 2020-21 के दौरान जयपुर डिस्कॉम एवं जोधपुर डिस्कॉम ने पुनः हानियां वहन की, जबकि अजमेर डिस्कॉम ने सूक्ष्म लाभ अर्जित किया।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा उसके टैरिफ विनियमों के तहत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

(आरआरवीयूएनएल) को वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 हेतु प्रदान किया गया पूंजी पर प्रतिफल वापस ले लिया था (सितंबर 2021)। तदनुसार, आरआरवीयूएनएल ने डिस्कॉम्स को ₹ 1811.74 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2019-20: ₹ 856.53 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2020-21: ₹ 955.21 करोड़) वापस कर दिए। आरआरवीयूएनएल द्वारा वापस की गयी राशि को डिस्कॉम्स द्वारा 'अन्य परिचालन आय' के रूप में दर्ज किया गया था और क्रमशः वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में विद्युत क्रय से समायोजित किया गया था। यद्यपि जयपुर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स वापस की गयी राशि के समायोजन के पश्चात भी हानि में ही रहे, अजमेर डिस्कॉम, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान हानि में था, आरआरवीयूएनएल द्वारा ऐसी वापस की गई राशि के कारण लाभ दर्ज कर पाया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उदय के तहत लेखांकित की गई राजस्व सब्सिडी को छोड़कर प्राप्त लाभ, डिस्कॉम्स की लाभप्रदता का वास्तविक संकेतक था। इस तर्क के आधार पर डिस्कॉम्स ने सभी वर्षों में भारी हानियां वहन की, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 5.2: 2016-17 से 2019-20 के दौरान उदय के तहत राजस्व सब्सिडी को छोड़ने के पश्चात डिस्कॉम्स की लाभप्रदता

(₹ करोड़ में)

डिस्कॉम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
जयपुर	(4462.91)	(1737.02)	(3220.48)	(3257.55)	(2605.70)	(660.75)
अजमेर	(3504.00)	(1303.55)	(2787.25)	(2793.83)	(436.94)	175.73
जोधपुर	(3273.87)	(1775.48)	(3819.57)	(3341.95)	(3697.31)	(1731.68)

स्रोत: डिस्कॉम्स के वार्षिक वित्तीय-विवरण।

वर्ष 2015-16 में वहन की गई हानियों की तुलना में 2016-17 से आगामी वर्षों में डिस्कॉम्स की हानियों के प्रवाह ने उदय के कार्यान्वयन का बहुत कम प्रभाव दिखाया क्योंकि 31 मार्च 2021 तक तीन डिस्कॉम्स में से दो डिस्कॉम्स हानि में रहे एवं अजमेर डिस्कॉम भी बहुत कम लाभ अर्जित कर सका।

डिस्कॉम्स के बकाया ऋण

5.5.2 2015-16 से 2020-21 की अवधि के दौरान डिस्कॉम्स के बकाया ऋणों की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 5.3: डिस्कॉम के बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	डिस्कॉम			
	जयपुर	अजमेर	जोधपुर	कुल
2015-16	27940.03	26615.83	26111.30	80667.16
2016-17	25960.16	23915.27	23516.60	73392.03
2017-18	22709.52	20421.54	20376.27	63507.33

2018-19	19335.93	17726.87	16513.25	53576.05
2019-20	17025.33	15099.44	16184.32	48309.09
2020-21	18161.89	16445.59	18191.54	52799.02

स्रोतः डिस्कॉम्स के वार्षिक वित्तीय-विवरण।

उदय के पूर्व एवं पश्चात की अवधि के दौरान राजस्थान डिस्कॉम्स के बकाया ऋणों का तुलनात्मक विवरण नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट संख्या 5.6: डिस्कॉम्स के बकाया ऋणों की स्थिति

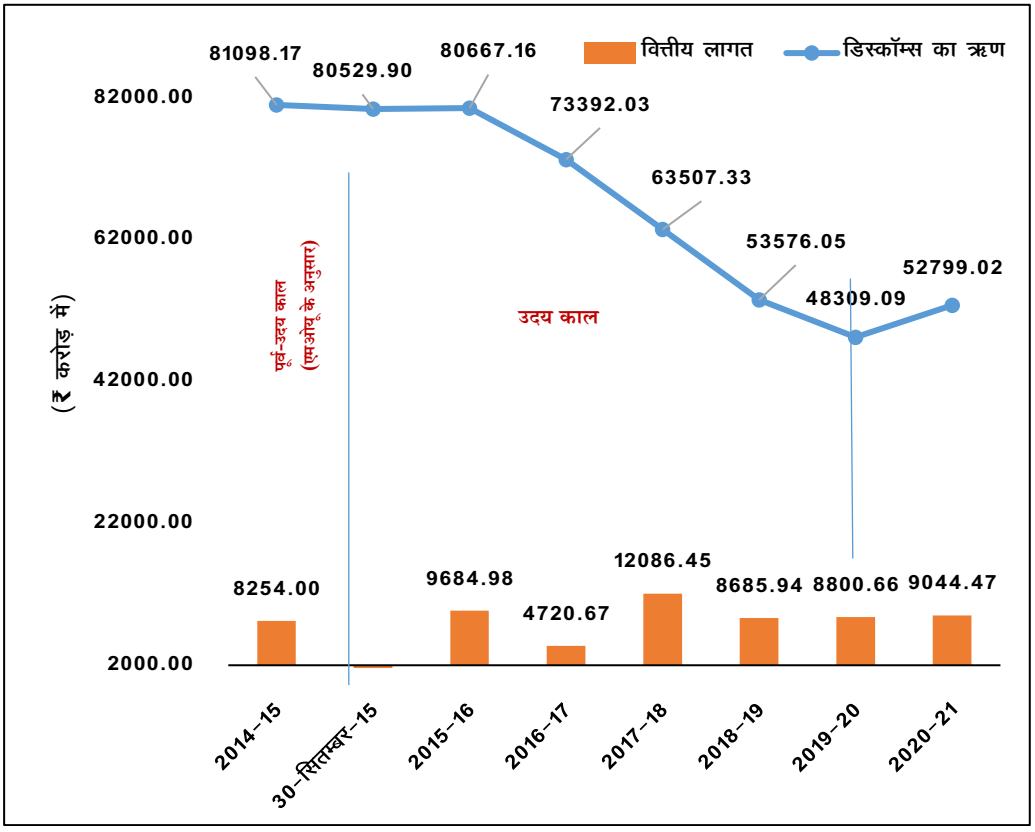

स्रोतः डिस्कॉम्स द्वारा प्रदत्त सूचना।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उदय के कार्यान्वयन ने डिस्कॉम्स के ऋण को सितंबर 2015 (उदय के लिए निर्दिष्ट तिथि) में ₹ 80,529.90 करोड़ से सारभूत रूप से घटाकर मार्च 2020 तक ₹ 48,309.09 करोड़ कर दिया था। तथापि, विद्युत क्रय की बकाया देयताओं एवं हानि के वित्तपोषण के दायित्वों की पूर्ति हेतु डिस्कॉम्स द्वारा नए ऋण लिए जाने के कारण मार्च 2021 तक ऋणों में पुनः वृद्धि होने के पश्चात ₹ 52,799.02 करोड़ हो गए थे। परिणामस्वरूप, डिस्कॉम्स का कुल ब्याज दायित्व 2014-15 में ₹ 8,254 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 9,044.47 करोड़ (₹ 1.39 प्रति विक्रय की गई विद्युत की इकाई के बराबर) हो गई। इस प्रकार, उदय के तहत राजस्थान सरकार द्वारा ऋणों के बड़े हिस्से के अधिग्रहण के पश्चात भी, डिस्कॉम्स की विक्रय की गई प्रति इकाई ब्याज लागत में कोई सारभूत कमी दृष्टिगोचर नहीं हुई थी। साथ ही, संरचनात्मक सुधारों एवं परिचालन मापदंडों यथा राज्य सरकार द्वारा टैरिफ देयताओं का भुगतान,

सरकारी विभागों की बकाया देयताएं, स्मार्ट मीटर की स्थापना आदि को पूर्ण नहीं किए जाने के कारण डिस्कॉम्स की ऋण दायित्वों में वृद्धि निरंतर रहेगी।

राजस्थान डिस्कॉम्स की रेटिंग

5.6 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने परिचालन, वित्तीय तथा बाह्य मापदंडों पर राज्य डिस्कॉम्स के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु एक एकीकृत रेटिंग पद्धति तैयार की (जुलाई 2012)। रेटिंग प्रक्रिया आईसीआरए ऐनालिटिक्स लिमिटेड एवं केयर एडवाइजरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग लिमिटेड द्वारा वार्षिक आधार पर की जाती है।

विद्युत मंत्रालय की 2019-20 के लिए नौवें एकीकृत रेटिंग प्रतिवेदन से उजागर हुआ (जुलाई 2021) कि 41 राज्य डिस्कॉम्स में से, अजमेर डिस्कॉम, जयपुर डिस्कॉम एवं जोधपुर डिस्कॉम को क्रमशः 'सी+', 'सी' एवं 'सी' रेटिंग[7] के साथ 26वीं, 35वीं और 41वीं रैंक दी गई थी। राजस्थान डिस्कॉम्स के संबंध में रेटिंग एजेंसियों की चिंता के प्रमुख क्षेत्र उच्च एटीएंडसी हानियाँ, निम्न बिलिंग दक्षता, कम लागत व्याप्ति अनुपात, भुगतान अधिक दिवसों में किया जाना, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टैरिफ याचिका दायर नहीं करना, वित्तीय वर्ष 2020-21 टैरिफ आदेश की अनुपलब्धता एवं समयबद्ध रूप से सब्सिडी प्राप्त नहीं होना इत्यादि थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विगत कुछ वर्षों में राजस्थान डिस्कॉम्स ने विभिन्न मापदंडों पर खराब प्रदर्शन किया था एवं अखिल भारतीय रैंकिंग में निम्न रेटिंग प्राप्त की थी। साथ ही, डिस्कॉम्स की ग्रेडिंग वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में 'बी' से गिरकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 'सी+' एवं 'सी' हो गई थी। इसने इंगित किया कि उदय के कार्यान्वयन के पश्चात परिचालन तथा वित्तीय मापदंडों पर डिस्कॉम्स का प्रदर्शन और खराब हो गया था।

सरकार द्वारा वितरण क्षेत्र में पर्याप्त निवेश करने के उपरांत भी निम्न रेटिंग गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि अपेक्षित परिणाम लक्ष्यों के आसपास भी नहीं थे।

सारांश में

डिस्कॉम्स उदय/एमओयू के प्रावधानों के अनुसार परिचालन लक्ष्य यथा फीडर एवं वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) पर अनिवार्य मीटरिंग, उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग, उपभोक्ता अनुक्रमण एवं हानियों की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) द्वारा मानचित्रण तथा ट्रांसफार्मर व मीटर का उन्नयन/परिवर्तन को प्राप्त नहीं कर सके। इन परिचालन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किए जाने के कारण, डिस्कॉम्स 2020-21 तक न तो एटीएंडसी हानियों को 15 प्रतिशत के स्तर तक कम कर सके तथा न ही एसीएस-एआरआर के अंतर को

7 'सी' रेटिंग 'बहुत कम परिचालन एवं वित्तीय प्रदर्शन क्षमता' को दर्शाती है जबकि 'सी+' रेटिंग 'कम परिचालन एवं वित्तीय प्रदर्शन क्षमता' को दर्शाती है।

समाप्त कर सके। परिणामस्वरूप, डिस्कॉम्स अपनी परिचालन दक्षता में सुधार नहीं कर सके जो कि आत्मनिर्भरता प्राप्त किए जाने हेतु आवश्यक था।

साथ ही, राजस्थान सरकार द्वारा ऋण की कमी को लिए जाने में अत्यधिक विलंब के कारण डिस्कॉम्स द्वारा सारभूत ब्याज का भुगतान किए जाने, उच्च लागत वाले ऋण खातों को अधिग्रहित करने की प्राथमिकता को नहीं बनाए रखने, राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान हानियों का वित्तपोषण नहीं करने एवं डिस्कॉम्स द्वारा बॉण्ड जारी नहीं किए जाने के कारण, डिस्कॉम्स में ब्याज व वित्त लागत एवं तरलता संबंधी समस्याएं बढ़ गईं। इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार के पेटे बकाया टैरिफ सब्सिडी के शेष एवं सरकारी विभागों के प्रति बकाया विद्युत देयताओं ने भी डिस्कॉम की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं पर भारी असर डाला क्योंकि वे विद्युत उत्पादकों के बकाया का भुगतान समय पर किया जाना सुनिश्चित नहीं कर सके। परिणामस्वरूप, डिस्कॉम्स ऋण लेने के लिए विवश थे, जिसने उदय के माध्यम से डिस्कॉम्स के वित्तीय कायाकल्प के प्राथमिक उद्देश्य पर नकारात्मक प्रभाव डाला।

इस प्रकार, उदय के कार्यान्वयन में डिस्कॉम्स एवं राज्य सरकार की उपरोक्त कमियों के कारण, राज्य में डिस्कॉम्स का वित्तीय कायाकल्प अप्राप्य रहा।

अर्चना गुर्जर

जयपुर
17 अप्रैल 2024

(अर्चना गुर्जर)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-II) राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
6 मई 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक